

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 26 सितम्बर, 2011 ई0 आश्विन 04, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–9

संख्या 514/XXVII(9)/2011/स्टाम्प-43/2010 देहरादून, 26 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

40 3HO-114

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय—समय पर यथा संशोधित) के नियम 4 के उपनियम (2) के परन्तुक के अधीन मसूरी नगरपालिका क्षेत्र (जनपद देहरादून) में स्थित निजी वन क्षेत्रों की वह भूमि, जिसमें पहले से ही आबादी नहीं है और जिस पर वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग निषद्ध है, भूमि की दर ₹1350 / — प्रति वर्ग मीटर एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से, डा0 हेमलता ढौंडियाल, सचिव, वित्त। In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 514/XXVII(9)/2011/Stamp-43/2010, dated September 26, 2011 for general information:

No. 514/XXVII(9)/2011/Stamp-43/2010 Dated Dehradun, September 26, 2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-rule (2) of rule 4 of the Uttar Pradesh Stamp (Valuation of Property) Rules, 1997 (as applicable in the State of Uttarakhand and as amended from time to time), the Governor is pleased hereby to allow with immediate effect the rate of the land of private forest areas situated in the Mussoorie (District Dehradun) municipal area which is already unpopulated and in which non-forest use is prohibited under the Forest Conservation Act to be determined at ₹ 1350/- per square meter.

By Order,

Dr. HEMLATA DHAUNDIYAL, Secretary, Finance.